# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)**

**प्रकरण संख्या 12/2017 खाद्य सुरक्षा**

**उनवान प्रकरण**

| | | |
|---|---|---|
| सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा<br><br>– प्रार्थी | **बनाम** | 1. श्री अमित धुत पुत्र श्री सुरज करण धुत विक्रेता,/ भागीदार<br>मैसर्स – आईस बेबी, शॉप न. 23 सिटी कोतवाली रोड नागौरी गार्डन भीलवाडा (राज.)<br>स्थाई पता – मकान सं. 8 एम 7, आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाडा (राज.)।<br>2. श्री संजय आंचलिया पुत्र श्री भैरू लाल आंचलिया विक्रेता,/भागीदार<br>मैसर्स – आईस बेबी, शॉप न. 23 सिटी कोतवाली रोड नागौरी गार्डन भीलवाडा (राज.)<br>स्थाई पता – ग्रा. आरनी तह. राशमी जिला चितोडगढ ।<br><br>––विपक्षी |

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51**

उपस्थित–

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा – प्रार्थी की ओर से
2 विपक्षीगण स्वयं उपस्थित

**दिनांक 24.04.2017**

## आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षीगण संख्या 1 से 2 के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण संख्या 01 श्री अमित धुत पुत्र श्री सुरज करण धुत, विक्रेता/मालिक मैसर्स आईस बेबी, शॉप न. 23 सिटी कोतवाली रोड, नागोरी गार्डन, भीलवाडा (राज.) का निरीक्षण करने पर पाया गया कि दुकान पर रखे एक डीपफ्रीज में स्वयं के द्वारा निर्मित आईस्क्रीम बटर स्कोच फ्लेवर के 4–4 लीटर के तीन पैकिट रखे हुए थे।

मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता ने बताया कि उक्त आईसक्रीम का निर्माण हाईफेट से किया जाता है। मिलावट का शक होने पर वास्ते जाँच हेतु एफएसएस एक्ट 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को दी। गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में डीपफ्रीज में रखे हुए आईस्क्रीम बटर स्कॉच फ्लेवर के पैकिट को बाहर निकालकर, सामान्य तापक्रम आने तक रखा गया। बाद में एक साफ सूखी स्टील की चम्मच से अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक रूप करके, वास्ते जाँच बाबत, 1200 ग्राम आईसक्रीम (बटर स्कोच फ्लेवर, हाईफेट) को एक साफ सूखे खाली स्टील के भगोने में खरीदा एवं खरीदशुदा आईस्क्रीम का भुगतान नकद 400/— अक्षरे चार सौ रूपये देकर रसीद प्राप्त की। नियमानुसार आईसक्रीम (बटर स्कोच फ्लेवर, हाईफेट फेट) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति उपलब्ध करवाने बाबत निर्माता फर्म को रजिस्ट्रर्ड पत्र प्रेषित किया गया पत्र के प्रति उत्तर में निर्माता फर्म के द्वारा फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की। फर्म के संविधान संबंधित सूचना प्राप्त कर, विपक्षीगण संख्या 01 से 02 के विरूद्व न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु, स्वीकृति प्राप्त कर, प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, नमूना लिये गये फर्म से किये गये, पत्र व्यवहार की प्रतियां एवं प्राप्त प्रतिउत्तर, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.05.2016 को समय 11:30 AM बजे, बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स – आईस बेबी, शॉप न. 23 सिटी कोतवाली रोड, नागौरी गार्डन भीलवाडा (राज.) पर पहुँचा। मैंनें विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय विक्रेता/भागीदार की हैसियत से श्री अमित धुत पुत्र श्री सुरज करण धुत,उम्र 45 वर्ष, जाति – धुत, निवासी – मकान सं. 8 एम 7, आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाडा (राज.) उपस्थित था एवं आम जनता को आईस्क्रीम इत्यादि का निर्माण कर आम जनता को विक्रय कर रहा था। विक्रेता/भागीदार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत बने खाद्य लाईसेन्स की प्रति मांगी गई, विक्रेता द्वारा खाद्य लाईसेंस की प्रति बाद में पेश करने बाबत कहा गया। मैसर्स– आईस बेबी, शॉप न. 23 सिटी कोतवाली रोड, नागोरी गार्डन, भीलवाड़ा को विक्रेता/भागीदार एवं गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान पर रखे एक डीपफीज में स्वयं के द्वारा निर्मित आईस्क्रीम बटर स्कोच फ्लेवर के 4–4 लीटर के तीन पैकिट रखे हुए थे। मौके पर गवाहों की उपस्थिति में उक्त आईसक्रीम का निर्माण हाईफेट से किया जाना बताया। मिलावट का शक होने पर वास्ते जाँच हेतु एफएसएस एक्ट 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद ली । मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में डीपफीज में रखे हुए

आईस्क्रीम बटर स्कोच फ्लेवर के पैकिट को बाहर निकालकर, सामान्य तापक्रम आने तक रखा गया। बाद में एक साफ सूखी स्टील की चम्मच से अच्छी तरह से हिलामिलाकर एक रूप करके, वास्ते जाँच बाबत, 1200 ग्राम आईसक्रीम (बटर स्कोच फ्लेवर, हाईफेट) को एक साफ सूखे खाली स्टील के भगोने में खरीदा एवं खरीदाशुदा आईस्क्रीम का भुगतान नकद 400/– अक्षरे चार सौ रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा आईसक्रीम (बटर स्कोच फ्लेवर, हाईफेट फेट) को पुनः हिला मिलाकर एक रूप करके चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर, चार अलग–अलग साफ, सूखे, खाली चौडे मुंह की प्लास्टीक के कन्टेनरों में भरकर, प्रत्येक कन्टेनरों में 36–36 बूंदे फोर्मलीन बतौर प्रीजरेटिव डालकर, ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–109 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–109 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाह ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता /भागीदार श्री अमित धुत पुत्र श्री सुरज करण धुत के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका पंचनामा तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये । सभी कार्यवाही गवाह व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपड़ी किया था उसका मोनोग्राम मौके पर पंचनामे पर अंकित किया गया। साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने की जाँच एकीकेटड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी। लिये गये खाद्य नमूना संख्या एक्स 109 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करवाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S.290/ACT/2016/340 दिनांक 27.05.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, आईस्क्रीम (बटर स्कोच फ्लेवर, हाईफेट) सब स्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षी संख्या 01 को नियमानुसार प्राप्त जाँच रिपोर्ट रजिस्ट्रर्ड पत्रांक द्वारा भिजवाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माता फर्म की संविधान की जानकारी प्राप्त कर, न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं

रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षीगण संख्या 1 श्री अमित धुत पुत्र श्री सुरज करण धुत, विक्रेता/भागीदार मैसर्स आईस बेबी, शॉप न. 23 सिटी कोतवाली रोड, नागोरी गार्डन, भीलवाडा (राज.) व विपक्षीगण 02 द्वारा सबस्टेण्डर्ड आईस्क्रीम (बटर स्कोच फ्लेवर, हाईफेट) का विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 20.02.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 20.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 17.03.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित एवं विपक्षीगण उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण संख्या 01 से लिया गया खाद्य नमूना आईस्क्रीम (बटर स्कोच फ्लेवर, हाईफेट) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है । **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. L.S.290/ACT/2016/340 दिनांक 27.05.2016 के अनुसार विक्रेता से जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, आईस्क्रीम (बटर स्कोच फ्लेवर, हाईफेट) मानक कोटि का नहीं होने के कारण सब स्टेण्डर्ड (Sub standard) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये नमूने में आईस्क्रीम (बटर स्कोच फ्लेवर, हाईफेट) Milk Fat मात्र 4.43 प्रतिशत ही पाई गई। इसलिए निर्माता फर्म द्वारा लिया गया नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सब स्टेण्डर्ड (Sub standard) होना पाया गया है।** खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली निर्माता फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु नमूना लिये जाने वाली निर्माता फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं।

विपक्षीगण की ओर से बहस में बताया कि नमूना लेते समय आईस्क्रीम मेरे द्वारा नौकर से गोदाम से मंगवाई गयी थी। नौकर गलती से लो फेट वाली आईस्क्रीम दुकान पर विक्रय हेतु लेकर आ गया था। भूलवश लो फेट आईस्क्रीम का नमूना हाईफेट आईस्क्रीम बताकर दे दिया गया था । रिपोर्ट में एक फ्लेवर में फेट निर्धारित मात्रा के अनुसार हैं और एक में फेट कम हैं। अब मेरे द्वारा प्रत्येक कंटेनर पर आईस्क्रीम की फेट अंकन की जाती हैं जिससे गलती की संभावना नहीं रहेगी। अतः निवेदन हैं कि प्रथम भूल व मानवीय भूल के कारण गलत नमूना जाँच हेतु मेरे द्वारा प्रेषित हो गया था, जो अब भविष्य में दुबारा भूल नही होगी । अतः प्रकरण निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान करावें ।

उभयपक्षों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में विपक्षीगण द्वारा गलती से हाईफेट आइस्क्रीम के स्थान पर लो फेट आइस्क्रीम का नमूना वास्ते जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिया जाना बताया गया। विपक्षीगण संख्या 01 श्री **अमित धुत पुत्र श्री सुरज करण धुत विक्रेता,/भागीदार** मैसर्स आईस बेबी, शॉप न. 23 सिटी कोतवाली रोड नागौरी

गार्डन भीलवाडा (राज.) एवं विपक्षीगण सं. 02 द्वारा सबस्टेण्डर्ड आईस्क्रीम (बटर स्कोच फ्लेवर, हाईफेट) का विक्रय एवं निर्माण किया गया है। विपक्षीगण संख्या **01** एवं **02** सब स्टेर्ण्डड हाईफेट आइस्क्रीम बटर स्कोच फ्लेवर का निर्माण एवं विक्रय करने के लिये दोषी है । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण सख्या 01 व 02 को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षी सं. 01 व 02 द्वारा सब–स्टेण्डर्ड **आईस्क्रीम (बटर स्कोच फ्लेवर, हाईफेट)** का निर्माण एवं विक्रय किया गया है , जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन है। अतः विपक्षी सं. 01 व 02 पर अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 01 पर 15000 रू. (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) एवं विपक्षी सं. 02 पर 15000 रू. (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 01 व 02 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 3 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें। उक्त अवधि में शास्ति राशि जमा नहीं कराने पर विहित अधिनियम की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रा.भू.रा. अधिनियम 1956 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण के विरूद्व वसूली कार्यवाही की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/04/17

(एल0आर0गुगरवाल )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

**प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–**

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री अमित धुत पुत्र श्री सुरज करण धुत विक्रेता, / भागीदार
   मैसर्स – आईस बेबी, शॉप न. 23 सिटी कोतवाली रोड नागोरी गार्डन भीलवाडा (राज.)
   स्थाई पता – मकान सं. 8 एम 7, आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाडा (राज.)।
5. श्री संजय अंचलिया पुत्र श्री भैरू लाल आंचलिया विक्रेता, / भागीदार
   मैसर्स – आईस बेबी, शॉप न. 23 सिटी कोतवाली रोड नागोरी गार्डन भीलवाडा (राज.)
   स्थाई पता – ग्राम आरनी तह. राशमी जिला चितोडगढ ।

24/04/17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा